IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

# विकलांग लोगों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा का मार्ग

**डॉ0 अनुपम कुमारी**
**(असिस्टेंट प्रोफेसर) IIMT College**
**Aligarh**

**शोध सारांश :–**

समावेशी शिक्षा अर्थात समान शिक्षा प्रत्येक छात्र को ऐसे समुदाय में भाग लेते हुए सफल होने का मौका देती है। जो किसी को हाशिए पर नहीं रखता है और सभी का स्वागत करता है। समावेशी शिक्षा से करूणामय संस्कृति के माध्यम से छात्रों को आत्म–सम्मान का बढ़ावा मिलता है। छात्रों को उनकी क्षमता तक पहुंचने में मदद मिलती है, उनके शैक्षणिक परिणामों में सुधार मिलता है। हम एक विविधतापूर्ण दुनिया में रहते है। समावेशी शिक्षण वातावरण में छात्र दूसरों के बारे में अपनी समझ को गहरा करते है जो उनसे अलग है। उनके शिक्षक सभी के लिए सुलभ शैक्षणिक उपलिब्ध का समर्थन करते हुये सहानुभूति और सम्मान को बढ़ावा देते है। शिक्षक कक्षा में ऐसा शिक्षण बातावरण बनाये जिसमें सभी छात्र शामिल हो। छात्रों को शारीरिक चिकित्सा, भाषण चिकित्सा या अन्य सेवाएँ प्रदान करने वाले पैराप्रोफेशनल्स के साथ सहयोग करें ताकि बैठकों को संवेदनशील तरीके से निर्धारित किया जा सके। "पुल आउट" (छात्र को पैराप्रोफेशनल के पास जाने के लिए कक्षा से बाहर जाना पड़ता है) सेवाओं के बजाय "पुश इन" (पैराप्रोफेशनल छात्र की कक्षा में आता है) के लिए पूछने पर विचार करें। शिक्षक अनगिनत तरीकों से समावेशी कक्षाऐं बना सकते हैं। भौतिक स्थान को बदलने के लेकर – उदाहरण के लिये रोशनी कम करना, डेस्क को इधर–उधर करना, भित्ति चित्र बनाना, विभिन्न साहित्यक, सांस्कृतिक, कलात्मक प्रतियोगिताओं – प्रत्येक छात्र को साझा अनुभव में शामिल करना जैसे कि पहुंच के लिये समायोजन के साथ एक क्षेत्र यात्रा है। समावेशी शिक्षण वातावरण बनाते समय शिक्षक की सर्वोच्च प्राथमिकता शुरू से ही सुनिश्चित कक्षा स्थापित करनी चाहिए। ऐसी सेटिंग में जहां छात्र अपने हितों, लक्ष्यों और असफलतओं को शिक्षक और एक–दूसरे के साथ साझा करने में स्वतंत्र महसूस करते है, वे अपने स्वयं के रास्ते खोजने, खुद को चुनौती देने और अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ के लिये प्रयास करने में भी सहज महसूस कर सकते है। जब ही समावेशी शिक्षा सफल होती है तो प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच प्राप्त होती है। जो उन्हें तेजी से परस्पर जुड़े और विविधतापूर्ण वैश्विक समाज में सफलता के लिए तैयार करती है। कुछ छात्र पारंपरिक, शैक्षणिक शिक्षा में उत्कृष्ट होते है, जबकि अन्य में अलग–अलग क्षमताए हो सकती है जो पारंपरिक शिक्षण वातावरण में सफल होना एक चुनौती बना देती है।

विकलांग लोगों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कई कदम उठाए जा सकते हैं जैसे विकलांग बच्चों को नियमित स्कूलों में दाखिला देना, विकलांग बच्चों को व्यक्तिगत सहायता देना, विकलांग बच्चों की क्षमताओं के मुताबिक पाठ्यक्रम पढ़ाना, विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण सामग्री तैयार करना, विकलांग बच्चों के लिए अनुकूलित शिक्षण विधियां अपनाना, विकलांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र खोलना, विकलांग बच्चों के लिए मूल्यांकन प्रणालियों को बेहतर बनाना, विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना यह सभी समावेशी शिक्षा के अर्न्तगत ही आता है। क्योंकि समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक दूसरे का समर्थन करना सिखाया जाता है। समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को सभी बच्चों की सीखने की शैली के मुताबिक पढ़ाने के लिये प्रशिक्षित किया जाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते है कि समावेशी शिक्षा में बच्चों को आदर, नैतिकमुल्य, गरिमा, समानता,

विविधता, मानव अधिकार, न्याय, स्वभाग्यनिर्णय, पास्परिक जिम्मेदारी, समावेश, नैतिक साहस, आदि के प्रति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग दर्शन कराती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः..... ऐसी समावेशी शिक्षा हैं।

शब्दार्थ–विकलांग, समावेशी शिक्षा, करूणामय, गुणवत्तापूर्ण, स्वभाग्यनिर्णय, प्रशिक्षित, पैराप्रोफेशनल, शैक्षणिक,

**प्रस्तावना :–**

भारत जैने प्रजातांत्रिक देश में प्रत्येक बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रत्येक बालक को अधिकार है कि वह अपने सामर्थ्य के अनुसार सहायता ग्रहण करें, चाहे उसकी सामर्थ्य कम हो या अधिक। सभी प्रकार के बालकों को स्कूल की शिक्षा तथा उसमें विकास का पूर्ण अधिकार है। प्राचीन काल में विशिष्ट शिक्षा का स्वरूप जातिगत एवं वर्णव्यस्था के आधार पर प्रचलित था। विविध प्रकार के व्यक्तियों अथवा छात्रों को कौनसी शिक्षा प्रदान करनी है ? यह उसकी जाति एवं वर्ण द्वारा निश्चित किया जाता है। उदाहरण के लिये क्षत्रिय वर्ण के व्यक्तियों को धनुर्विद्या एवं रण कौशल के संम्बधित शिक्षा प्रदान की जाती थी। यदि कोई शुद्र वर्ण का व्यक्ति धनुर्विद्या एवं रण कौशल के बारे में शिक्षित होना चाहता तो उसको यह शिक्षा प्रदान नहीं कि जाती थी। क्योंकिं यह माना जाता था कि शूद्र वर्ण के व्यक्तियों को हथियार चालने की योग्यता नहीं पायी जाती उनमें इस विद्या को सिखने के गुण नहीं होते। इस प्रकार से प्राचीन काल में जाति एवं वर्ण के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। परिवर्तन समाज एवं प्रकृति का नियम है। इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र मे भी परिवर्तन होने लगा धीरे–धीरे सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा के अवसर मिलने लगे। जनता के लिये शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना सरकार का प्रमुख दायित्व माना जाने लगा। सार्वजनिक विद्यालयों की स्थापना होने लगी। जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व व्यापकता का समावेश हो गया जिसका प्रमुख कारण शिक्षा का सर्वजनीकरण है। सरकार द्वारा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था के कारण सभी को समावेशी शिक्षा कि आवश्यकता का अनुभव होने लगा। वर्तमान समय में सरकार का प्रमुख उद्देश्य है कि किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित नहीं होना चाहिए। अर्थात् शिक्षा वैधिक काल से भारतीय समाज में उपस्थित थी परंतु उसको परिमार्जित एवं परिष्कृत रूप वर्तमान समय में प्रदान किया गया है क्योकिं आज की शिक्षा बाल–केन्द्रित है तथा बालक को केन्द्र मानकर ही समस्त शैक्षित क्रियाऐं निर्धारित की जाती है। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि बालकों में पाई जाने वाली समस्त प्रतिभाओं, गर्णों को प्रोताहित करना। शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। शिक्षा छात्र को जीवन यापन कौशल सिखाती है। ताकि छात्र स्वालाम्बी बन सके। आजादी के बाद से भारत में हुये शैक्षिक व्यवस्था का विकास इस बात की पुष्टि करता है की भारतीय शिक्षा में विभिन्न क्षेत्रिय आवश्यकताओं, विविधताओं और विभिन्न सीमाओं के बावजूद भी **समावेशी शिक्षा** के लिये उपकरण के रूप में कार्य किया है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य वैसी शिक्षा – प्रणाली से है जिसमें सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के सीखने – सीखाने के सम्मान अवसर प्राप्त हो।

**समावेशी शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास :–**

समावेशी विकास, सामाजिक समावेश, समावेशी शिक्षा शब्दा को अक्सर सुनते है फिर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि समावेश क्या है ? इसकी आवश्यकता क्या है ? किसका समावेश किया जाना चाहिऐ ? समावेश की प्रकिया क्या हो सकती है ? समावेश में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है ? इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिये हमें मनवाधिकारों की वैश्विक धोषणा की ओर जाना होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की विकलंग व्यक्तियों के अधिकारों की धोषणा (1975) के अनुसार – ''विकलांग व्यक्तियों को, उनके 'आत्म–सम्मान' के लिये आदर पाने का प्रकृतिक अधिकार है। विकलांग व्यक्तियों को भी उनके हम उम्र व्यक्तियों के समान सभी मूल अधिकार जिसमें जिंदगी की पूर्णता एवं सम्मान से जीना शामिल है प्राप्त है चाहे उनका मूल, (जाति/वंश) प्रकृति अथवा उनकी विकलांगता एवं अक्षमता की गम्भीरता कुछ भी क्यों न हो।'' (Article - 3)

सयुक्त राष्ट्र संघ की इस धोषणा के पश्चात सभी सदस्य ने सहमति जताई। मानवाधिकारों और तत्पश्चात विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की इस धोषणा को आगे 'बालकों के अधिकार' पर हुये संयुक्त राष्ट्र अन्वेशन (1989) में समावेशी शिक्षा की जड़े छुपी है। बालको के वैश्विक अधिकारों की इस धोषणा के अनुसार, ''एक विकलांग बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करते हुये उन्हें उपयुक्त सहायता प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रभावी शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चिता की जा सके और बच्चे के अनुकूल उसका पूर्ण सामाजिक एकीकरण एवं पूर्ण विकास सम्भव हो। (Article - 23) समाज में सभी व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिये सभी बालकों को बिना किसी भैदभाव के अपनी संस्कृति में विक्सित होने

का मौका मिलना चाहिये ताकि ये मूल्यों, अपनी कला एवं संस्कृति, अपना साहित्य, अपनी राज्य व्यवस्था, अपने सामाजिक व्यावस्था को अत्मसात् कर सके और विकास में योगदान प्रदान कर साकें। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों एवं छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाता है। सभी शैक्षिक निकायों की संरचना और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिऐ ताकी वे बालकों की व्यक्गित विभिन्नता और विविध आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम हो सकें।

**समावेशी शिक्षा का प्रत्यय, अर्थ :–**

**लिमैन तथा वालमैन (2001) के अनुसार, ''समावेशी शिक्षा वह शिक्षण है जो बालकों में बढ़ती भिन्नताओं को ध्यान में रखना है।''**

समावेशी शिक्षा का प्रत्यय है कि सभी बच्चे एक ही कक्षा में, एक ही स्कूल में पढ़ सकते हैं। यह शिक्षा सभी बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए जरूरी कौशल विकसित करने का मौका देती है.। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलता है.। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित सभी बच्चों के लिए है। यह ऐसे प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा एवं सामान्य शिक्षक की बात करता है। जो इससे लाभ प्राप्त करने के योग्य है। अतः समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र ऐसे सभी बालकों के बीच अपनी पहुंच बनाना है एवं उन्हें अधिगम प्रदान कर सामान्य जीवन यापन हेतु अग्रसर करना है। समावेशी शिक्षा के जनक के रूप में किसी एक व्यक्ति का नाम बताना मुश्किल है क्योंकि यह एक विचारधारा है। अतः ये कई व्यक्तियों के योगदान से विकसित हुई है जैसे **जे0एम0जी0इटर्ड (J.M.G. Itard)** को समावेशी शिक्षा के अग्रदूत के रूप में माना जाता है। जिन्होंने विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने के लिये काम किया। समावेशी शिक्षा की खोज **मारिया मोंटेसरी (1870–1952)**, एक इतालवी चिकित्सक और शिक्षिका, ने मुख्यधारा की कक्षाओं में विकलांग बच्चों को शामिल करने पर जोर देकर समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। **लेव वायोगात्सकी** रूसी मनौवैज्ञानिक ने समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने में सामाजिक सम्पर्क और शिक्षा की भूमिका के महत्व पर जोर दिया। विकास के उनके सामाजिक सांस्कृतिक संद्धिंत ने समावेशी शिक्षा प्रथाओं के लिये आधार तैयार किया। समावेशी शिक्षा का दूसरा नाम **समावेशन**भी कहा जाता है। समावेशन – वह शिक्षा है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, जिसमें गैर विकलांग और विकलांग लोग (जिनमें 'विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं'' वाले लोग भी शामिल है।) मुख्य धारा के स्कूलों कॉलेजों और विश्व विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकें। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द का पहली बार इस्तेमाल तब किया गया जब शिकागो में पामर हाउस में एक सम्मेलन के लिए माता–पिता और शिक्षकों का एक छोटा समूह मिला। इस शब्द का प्रस्ताव वक्ता डॉ. सैमुअल ए. किर्क ने रखा था, जिन्हें इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लर्निंग डिसेबिलिटी के जनक के रूप में जाना जाता है। **थामस** (1997) के अनुसार, ''समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों को वही विद्यालय अनुभव प्रदान करती है जैसे– वह उसी विद्यालय में तब प्राप्त करते जब वह बिना विशिष्ट अपवश्यकता के बालक होते हुए विद्यालय व कक्षा में प्राप्त करते। यह वह प्रक्रिया है जिसमें सभी बालक बिना किसी योग्यता तथा आवश्यकता को ध्यान रखकर प्रतिभाग करते हैं।''

**विकलांग का अर्थ :–** जिसका कोई अंग टूटा या खराब हो न्युनांग, अंगहीन, जैसे, लूला, लँगड़ा काना, खंजा आदि। विकलांग को अन्य शब्दों में अंगहीन, अपाहज, अपाहिज भी कहा जा सकता है।**निर्योग्यता**(disability) एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए ''अशक्तता'', ''निरूशक्तता''(विधि), ''अपंगता'', ''अपांगता'', दिव्यांगता आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है।

**विकलांगता का शाब्दिक अर्थ एवं प्रकार :–**विकलांगता एक शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक या संवेदी स्थिति है जो किसी व्यक्ति की एक या अधिक प्रमुख जीवन गतिविधियों को करने की क्षमता को अस्थायी या स्थायी रूप से बाधित करती है। विकलांगता जन्मजात हो सकती है, जो जन्म से उत्पन्न होती है, या बीमारी, चोट या उम्र बढ़ने के कारण प्राप्त होती है। विकलांगता स्पष्ट हो सकती है, जैसे कि व्हीलचेयर के उपयोग की आवश्यकता वाली गतिशीलता की चुनौतियाँ, या गैर–स्पष्ट (या अदृश्य ), जैसे संज्ञानात्मक हानि या पुरानी बीमारियाँ।विकलांगता की कानूनी परिभाषाएं क्षेत्राधिकार के अनुसार अलग–अलग हो सकती हैं, लेकिन आम तौर पर सामाजिक मानकों और अपेक्षाओं के संबंध में व्यक्ति की कार्यात्मक सीमाओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

**विकलांगता के भिन्नि प्रकार बताये जाते है :–**

- **शारीरिक विकलांगता :–**शारीरिक विकलांगता ऐसी कई स्थितियों को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति की गतिशीलता, निपुणता या शारीरिक कामकाज को प्रभावित करती हैं। शारीरिक विकलांगता जन्मजात हो सकती है, जो जन्म से उत्पन्न होती है, या बीमारी, चोट या प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के कारण प्राप्त होती है। शारीरिक विकलांगता किसी व्यक्ति की चलने–फिरने, दैनिक कार्य करने या ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की क्षमता को सीमित कर सकती है जिन्हें कई लोग सामान्य मानते हैं। इन विकलांगताओं की गंभीरता व्यापक रूप से भिन्न हो सकती है, हल्की सीमाओं से लेकर गंभीर विकलांगता तक जिसके लिए व्यापक सहायता या सहायक उपकरणों की आवश्यकता होती है ।
  शारीरिक विकलांगता के प्रचलित रूपों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :
  - गतिशीलता संबंधी विकार
  - मस्कुलोस्केलेटल विकार
  - न्यूरोमस्क्युलर विकार
  - क्रोनिक दर्द की स्थिति
  - श्वसन संबंधी विकार
- **संवेदी हानि** :–संवेदी दुर्बलताओं में ऐसी स्थितियाँ शामिल हैं जो पाँच इंद्रियों में से एक या अधिक को प्रभावित करती हैंरू दृष्टि, श्रवण, स्वाद, स्पर्श और गंध। ये दुर्बलताएँ किसी व्यक्ति की पर्यावरण से जानकारी प्राप्त करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं, जिससे संचार, गतिशीलता और समझ में चुनौतियाँ पैदा होती हैं। दृष्टि और श्रवण दुर्बलताएँ संवेदी विकलांगताओं के सबसे आम रूप हैं । हालाँकि, दुर्बलताएँ अन्य इंद्रियों को भी प्रभावित कर सकती हैं। संवेदी दुर्बलताओं के कारण जन्मजात हो सकते हैं, जो जन्म के समय आनुवंशिक कारकों या जटिलताओं के परिणामस्वरूप होते हैं, या बीमारी, चोट या उम्र बढ़ने के कारण प्राप्त होते हैं।
  - दृष्टि दोष
  - श्रवण दोष
  - स्वाद और गंध की कमी
  - स्पर्श संबंधी विकार
- **मानसिक विकलांगता** :–मानसिक विकार मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के भावनात्मकवनियमन, मनोदशा और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये विकार आनुवंशिक, जैव रासायनिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से उत्पन्न हो सकते हैं और दैनिक जीवन, रिश्तों और समग्र कल्याण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। मानसिक विकलांगता के प्रचलित रूपों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :–
  - चिंता विकार
  - अवसाद
  - द्विरुवी विकार
  - सिजोफ्रेनिया
  - अभिघातजन्य तनाव विकार (PTSD)

- **संज्ञानात्मक विकलांगता :–**संज्ञानात्मक विकलांगता विभिन्न प्रकार के विकारों को संदर्भित करती है जो स्मृति, ध्यान, समस्या–समाधान और निर्णय लेने सहित संज्ञानात्मक कार्य को प्रभावित करती हैं। ये विकलांगताएं मानसिक दुर्बलताओं से अलग हैं, हालांकि इनमें ओवरलैप हो सकता है। दोनों के बीच भ्रम अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि दोनों विचार प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि, जहाँ मानसिक दुर्बलताएँ मुख्य रूप से भावनात्मक विनियमन और व्यवहार से संबंधित होती हैं, वहीं संज्ञानात्मक विकलांगताएँ सूचना प्राप्त करने और उसे संसाधित करने में कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
  संज्ञानात्मक हानि के प्रचलित रूपों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :–
  डिमेंशिया
  - सीखने संबंधी अक्षमताएँ
  - ध्यान–घाटे/अति सक्रियता विकार (एडीएचडी)
  - अभिघातजन्य मस्तिष्क चोट (टीबीआई)
  - स्ट्रोक
- **वाक् विकलांगता :–**वाक् विकलांगता का संबंध वाक् ध्वनियाँ उत्पन्न करने में चुनौतियों या आवाज की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं से है। वे शब्दों को स्पष्ट करने में कठिनाई, स्वर बैठना, स्वर में उतार–चढ़ाव या यहाँ तक कि हकलाने के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ये चुनौतियाँ शारीरिक असामान्यताओं, तंत्रिका संबंधी विकारों या दर्दनाक घटनाओं से उत्पन्न हो सकती हैं। वाक् विकलांगता को भाषा विकारों से अलग करना आवश्यक है। जबकि वाक् विकलांगता ध्वनियाँ उत्पन्न करने के कार्य पर केंद्रित होती है, भाषा विकारों में भाषा को समझने या उसका उपयोग करने में कठिनाई शामिल होती है।
  वाक् विकलांगता के प्रचलित रूपों में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :–
  - उच्चारण संबंधी विकार
  - प्रवाह संबंधी विकार
  - प्रतिध्वनि या आवाज संबंधी विकार
  - अभिव्यंजक विकार

**समावेशी शिक्षा का प्रावधानएवं कक्षा कक्ष में निगरानी एवं नियंतत्रः**

नई शिक्षा नीति के तहत विकलांगों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान है। इसका मकसद विकलांग बच्चों को सामान्य छात्रों की तरह शिक्षा देना और उन्हें मुख्यधारा में लाना है। विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।विकलांग बच्चों को उनकी विशेष शैक्षणिक जरूरतों के मुताबिक शिक्षा दी जाती है। विकलांग बच्चों को सामान्य छात्रों की तरह ही शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। विकलांग बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम (आईईपी) होता है। आईईपी बताता है कि बच्चे को स्कूल में किस तरह की मदद की जरूरत है और उसे क्या लक्ष्य हासिल करने हैं.। **वकलांगों के लिए कानूनी प्रावधान**–संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। विकलांग अधिनियम 1995 के तहत विकलांग बच्चों को 18 साल तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन (सीआरपीडी) के तहत राज्यों को हर छात्र के लिए उचित सुविधाएं मुहैया करानी होती हैं।

एक शिक्षक शिक्षिण के समय विभिन्नताओं का ध्यान रखता है तथा शिक्षिण के समय अपने निगरानी के माध्यम से उनकी समस्याओं की पहचान करता है तथा उसे हल करने का प्रयास करता है। शिक्षक का कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व होता है कि पूरे कक्षा कक्ष में अधिगम की समानता हो। कक्षा कक्ष में भिन्न रूप से निगरानी कर सकते है जैसे –जो कुछ भी शिक्षण किया गया है उसका समस्त छात्रों ने कितना अधिगम किया है।विभिन्नाताओं से भरी कक्षा कक्ष में एक–एक से सम्यक कर उनके कार्यों का अवलोकन करना।दत्त कार्य एवं गृहकार्य को एकत्रित कर उसकी जांच करना, सुधार करना तथा ग्रेड प्रदान करना।छात्रों के समझ की पहचान के लिये तथा अधिगम समझ के लिये समय–समय पर निगरानी के माध्यम से समीक्षा करना।निगरानी के द्वारा विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना। कक्षा में विविताओं का नियन्त्रण निम्न रूप में कर सकते है जोकिं एक शिक्षक के लिये चुनौतिपूर्ण होती है जैसे :– शिक्षण को विराम देकर, बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करके, शाररिक भाव अथवा मुद्रा का प्रयोग करके, उदाहरणों को साथ शिक्षण प्रदान करके, पिछे बैठ कर कक्षा का निरक्षण करके, जिसै विभिन्न **लाभ**प्राप्त होते है। कक्षा में विविधता नियन्त्रण द्वारा पाठ्यचर्या को समय से पूर्ण करने में सहायता करती है।कक्षा में विविधता नियन्त्रण के द्वारा अधिगम में वृद्धि होती है।कक्षा में विविधता नियन्त्रण द्वारा विविध बालकों को अपनी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है।कक्षा नियन्त्रण के द्वारा

छात्र–शिक्षक अन्त–क्रियाओं को क्रियान्वयन में सहायता होती है।यह अधिगम पूर्ण वातावरण का निर्माण करता है।

## समावेशी शिक्षा में समस्याऐं एवं वाधाऐं

समावेशी शिक्षा जहाँ एक तरफ शिक्षा में सभी प्रकार के विद्यार्थियों (सामान्य, विशिष्ट) को समान सामाजिक धारा में जोड़ने का काम कर रहा है वहीं दूसरी तरफ समावेशी शिक्षा का मार्ग विभिन्न बाधाओं से घिरा है। ये बाधाएँ समावेशी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति को प्रभावित करती हैं। इन समस्याओं तथा बाधाओं को तीन खण्डों में विभाजित किया गया है–

1) सामाजिक बाधाएँ 2) शैक्षिक बाधाएँ 3) आर्थिक बाधाएँ

## शिक्षा के लिये कक्षा के वातावरण को गुणात्मक बनाना :–

**फ्रेन्डसन :–**ने कहा कि ''प्रभावी अधिगम प्रभावशाली प्रेरणा पर निर्भर करता है जितनी अच्छी प्रेरणा होगी, उतना ही प्रभावशाली अधिगत होगा।''

शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का आम मत है कि स्कूल शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है शिक्षकों एवं शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग कहा है। इसीलिए गेट्स महोदय ने कहा है कि, श्एक दुरुस्त शैक्षिक कार्यक्रम का आधार अभिप्रेरणा की समस्या है–अभिप्रेरणा सीखने के लिए अनिवार्य है।

According to Gates [1948½] "The problem of motivation lies at the very heart of a sound educational programme- Motivation is indispensable to learning".

शिक्षा संस्थानों में अनुशासनहीनता की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। इस तरह की अन्य समस्याओं का समाधान बालकों को शैक्षिक, सामुहिक सामाजिक प्रेरणा देकर उन्हें उत्साहित किया जा सकता है सीखने के लिए। तथा छात्रों को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कार तथा प्रशंसा तथा अवांछित कार्यों के लिए निंदा व दण्ड का प्रयोग उचित रूप से कर इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण करके, पाठ्य–पुस्तकों की रचना व शिक्षण विधियों के चयन में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यचर्चा ऐसी होनी चाहिए जो उद्देश्यपूर्ण होने के साथ–साथ बालकों को भी अभिप्रेरित कर सकें। शिक्षिकों तथा शिक्षामनोवैज्ञानिकों ने छात्रों द्वारा कक्षा वातावरण में सीखने के लिये निम्न बिंदू बताये है :–

1. पुरस्कार तथा दण्ड
2. उन्नति तथा परिणाम का ज्ञान
3. स्वस्थ आकांक्षाओं का विकास
4. लक्ष्य निर्धारित व्यवाहर या आंकशा स्तर
5. स्पर्द्धा तथा प्रतियोगिता
6. सीखने की इच्छा
7. व्यावसायिक लक्ष्य का प्रयोग प्रोत्साहन के रूप में
8. आदर्शो एवं मूल्यों का विकास करके
9. शिक्षण प्रकियों में सुधार व परिवर्तन करके
10. कार्यों की आवश्यकताओं में परिवर्तन करके
11. वैकल्पिक कार्य का चुनाव करके
12. कार्य तथा सामग्री का परिवर्तन करके
13. सहगामी पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का प्रयोग करके
14. सम्प्रेषण रणनितियां तैयार करके
15. भाषण तैयार करके
16. विशेष कक्षाओं के माध्यम से
17. व्यावहर परिमार्जन एवं विशिष्ट निवासीय स्कूल करके
18. विभिन्न अध्ययन विधियों के द्वारा
19. टोली शिक्षण माध्यम से

**उद्देश्य :–**

समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि सभी बालकों को समाज शिक्षा प्रदान करना। जिसमें अध्यापक के लिये निर्देशन और प्ररामर्श के संन्दर्भ में डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने लिखा है कि ''समाज में अध्यापक का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है, वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक निर्देशन एंव तकनीकी कौशल पहुंचाने का केन्द्र है तथा सभ्यता के प्रकाश को प्रज्ज्वलित रखने का परामर्श देता है।''समावेशी शिक्षा का मकसद, सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उन्हें समान अवसर देना है. यह शिक्षा सभी छात्रों की योग्यताओं और अक्षमताओं की परवाह किए बिना दी जाती है. समावेशी शिक्षा के जरिए, छात्रों की सीखने की शैलियों को ध्यान में रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है.

**समावेशी शिक्षा के उद्देश्य** :–सभी छात्रों को नियमित स्कूल में शिक्षा का अधिकार देना। छात्रों की सीखने की शैलियों के मुताबिक शिक्षा देना। छात्रों की विविध जरूरतों को पूरा करना। छात्रों के बीच भेदभाव को दूर करना। छात्रों की सीखने में भागीदारी बढ़ाना। छात्रों की समग्र भलाई में बाधा डालने वाली भेदभावपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर करना। छात्रों को एक समावेशी और समान समाज के निर्माण में शामिल करना। छात्रों की सीखने की समस्याओं का समाधान करना। छात्रों के शारीरिक दोषों को रोकने का प्रयास करना। छात्रों के शारीरिक दोषों के पुनर्वास का प्रयास करना। समावेशी शिक्षा की चार प्रक्रिया महत्वपूर्ण बताई है :– मानकीरण, संस्थारहित शिक्षा, शिक्षा की मुख्य धारा, समावेशन। विभिन्न क्षताओं, भिन्नताओं और अक्षमतों के सभी छात्र के साथ समान व्यवहार, किया जाता है अधिगम के लिये विशेष वातावरण तैयार करना प्रत्येक छात्र आवश्कता के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना ताकि प्रत्येक बच्चे को ज्ञान प्राप्त हो सके।

**निष्कर्ष :–**

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है कि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य समान शिक्षा प्रदान करना जिसके लिये बच्चे को विकलांगता के साथ–साथ मानंसिक रूप से भी स्वस्थ होना आवश्यक है। क्योंकिं जन्म, स्वस्थ और मृत्यु का चक्र व्यक्ति के किये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वस्तुतः जन्म लेने के उपरांन्त मृत्यु तक की समपूर्ण अविध में व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ रह कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रयासरत रहता है। क्योंकिं शारीरिक स्वास्थ मानसिक स्वास्थ को तथा मानसिक स्वास्थ शारीरिक स्वास्थ को परस्पर प्रभावित करते रहते है। शिक्षा प्रकिया का संबंध बलकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नैतिक विकास से है। जिसके संबंध में कहा है कि **हैडफिल्ड** के अनुसार – ''सामान्य भाषा में हम कह सकते है कि मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण व्यक्तित्तव की समन्वित क्रियाशीलता है।'' व **लैडल** के अनुसार – ''मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है।''

**संन्दर्भ व सूची :–**


1. **www.wikipedia.com**
2. **google**
3. **https://apnatust.in**
4. **उत्तर शिक्षा मनोविज्ञान प्रो0 एस0पी0गुप्ता व डॉ0 अलका गुप्ता पेज नं0 375**
5. **समावेशी विद्यालय का सृजन डॉ0 अनुपम कुमारी राघव व डॉ0 मीनाषी शर्मा पेज नं0 100**
6. **समावेशी विद्यालय का सृजन डॉ0 किरण गर्ग पेज नं0 119, 121**